

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2016-17/9950-75

दिनांक: 14-02-17

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त द्वितीय अवशेष धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में। महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर०ओ०पी० 2016-17 के एफ०एम०आर० कोड सं०-आई० पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० 2481.94 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू० 1056.12 लाख की द्वितीय अवशेष धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है—

(Amt. in Rs.)

Sl. No.	Name of District	Total Budget	First Release (Rs.)	Second Release (Rs.)
1	Agra	8157599	6910300	1247297
2	Aligarh	8462438	3538619	4923818
3	Allahabad	9629076	5596038	4033038
4	Ambedkar Nagar	2471393	3374196	0
5	Amethi	3517324	831162	2686162
6	Amroha	1467638	756319	711319
7	Auraiya	1300548	672774	627773
8	Azamgarh	3450173	1800586	1649586
9	Bagpath	1236289	640645	595645
10	Bahraich	3484339	1893269	1591068
11	Ballia	3074969	1600385	1474585
12	Balrampur	2011084	1127980	883104
13	Banda	1772147	948973	823173
14	Barabanki	5282751	3792475	1490275
15	Bareilly	5494368	3000784	2493582
16	Basti	2998317	1524659	1473655
17	Bijnore	3863548	1957274	1906271
18	Badaun	3522364	1824082	1698282
19	Blandshahar	3326383	1726091	1600291
20	Chandauli	1573183	809091	764087
21	Chitrakut	951385	498192	453192
22	Deoria	2985867	1568433	1417433
23	Etah	1756282	950641	805641
24	Etawah	2532827	1810513	722313
25	Faizabad	2308155	1179078	1129077
26	Farrukhabad	1929094	1065647	863447
27	Fatehpur	2558654	1354327	1204326
28	Firozabad	3278416	2136308	1142107

29	Gautambudh Nagar	2568367	1407184	1161183
30	Gaziyabad	4765605	2458303	2307300
31	Ghazipur	3460357	1803178	1657178
32	Gonda	4308194	2738597	1569597
33	Gorakhpur	6804555	3951878	2852674
34	Hamirpur	1055038	550019	505019
35	Hapur	1182851	613926	568925
36	Hardoi	3868975	1997388	1871588
37	Hathras(M.M.Nagar)	1477403	761202	716201
38	Jalaun	3654293	2890047	764246
39	Jaunpur	4245176	2197688	2047488
40	Jhansi	4183702	2157251	2026447
41	Kannauj	1888766	1130383	758383
42	Kanpur(Dehat)	1687267	866134	821134
43	Kanpur(Urban)	10765488	7232344	3533141
44	Kashganj	1360728	702864	657864
45	Kaushambi	1505883	775442	730441
46	Kushinagar	3378429	1749614	1628814
47	Kheri	3817982	1981991	1835990
48	Lalitpur	1159140	602070	557070
49	Lucknow	7851368	4298184	3553181
50	Maharajganj	2483461	1264231	1219231
51	Mahoba	922369	521584	400784
52	Mainpuri	1910806	1065803	845003
53	Mathura	2451301	1288551	1162749
54	Mau	2062491	1053746	1008745
55	Meerut	8359762	5011381	3348379
56	Mirzapur	2433292	1292146	1141146
57	Moradabad	6078616	3638908	2439706
58	Muzaffar Nagar	2799348	1475174	1324174
59	Pilibhit	2013774	1081887	931886
60	Pratapgarh	2954455	1502727	1451727
61	Raibareilly	4132065	2574932	1557132
62	Rampur	2541245	1343122	1198121
63	Saharanpur	3220333	1635667	1584666
64	Sambhal	1182851	613926	568925
65	Sant Kabir Nagra	1613437	829218	784217
66	Sant Ravi das Nagar	1466886	755943	710943
67	Shahjahanpur	2791603	1418302	1373301
68	Shamli	1258651	689726	568925
69	Shravasti	1063902	554451	509451
70	Siddharthnagar	2382151	1214075	1168074
71	Sitapur	3484362	1767681	1716681
72	Sonbhadra	1749921	897960	851960
73	Sultanpur	2146797	1098899	1047899
74	Unnao	5066681	3643740	1422940
75	Varanasi	6037263	3296632	2740629
Total		243994000	139284937	105611805

3. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आगरा एवं अम्बेडकरनगर द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि में से एफ0एम0आर0 मद सं0 1.2.2 Strgth SDH/CHC@20 lakhs में अवमुक्त रू0 20.00 लाख की धनराशि को व्यय न करते हुये उक्त धनराशि क्रमशः एफ0एम0आर0 मद सं0 1.1.1.A Reimbursement For Cataract Operation For Ngo And Private Practitioners, 1.1.1.B Assistance For

Consumables/Drugs/Medicines To The Govt./District Hospital, I.1.2.A Diabetic Retinopathy, I.1.2.B Childhood Blindness, I.1.2.C Glaucoma, I.1.2.D Keratoplasty, I.1.2.E Vitreoretinal Surgery, I.1.3.A Screening and free spectacles to school children, I.1.4.A Screening and free spectacles for near work to Old Person में आवंटित की गयी धनराशि की सीमा के अन्दर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा शेष रु0 902804.00 की धनराशि राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत संचालित अंधता निवारण कार्यक्रम के खाता सं0 30158315156 में स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया जायेगा उक्त के अतिरिक्त जनपद अलीगढ़ व अमेठी को द्वितीय किशत में एफ0एम0आर0 मद सं0 I.2.2 Strgth SDH/CHC@20 lakhs पर प्रति जनपद रु0 20.00 लाख की धनराशि की दर से कुल रु0 40.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0एम0आर0 कोड संख्या A.5.1.7 पर रु0 200.00 प्रति चश्मा की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उन आयुवर्ग के बच्चों के लिये अवमुक्त की जा रही है जो बच्चों राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हो रहें हैं। अतः जिला अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग उक्त आयुवर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत टीमों के माध्यम से चश्मा वितरण में करेंगे।
6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
7. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा- निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम में रिकरिंग मद में आवंटित धनराशि को अन्य रिकरिंग मद में जनपद द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में उपरोक्त संसाधनानुसार अनुपात के परिवर्तन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय की जा सकती है।
8. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

13. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं० 1207-13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2016-17/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निदेशक (नेत्र)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, आर०बी०एस०के०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
9. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2016-17/

दिनांक: 14-02-17

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त द्वितीय अवशेष धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर०ओ०पी० 2016-17 के एफ०एम०आर० कोड सं०-आई० पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० 2481.94 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू० 1056.12 लाख की द्वितीय अवशेष धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है-

(Amt. in Rs.)

Sl. No.	Name of District	Total Budget	First Release (Rs.)	Second Release (Rs.)
1	Agra	8157599	6910300	1247297
2	Aligarh	8462438	3538619	4923818
3	Allahabad	9629076	5596038	4033038
4	Ambedkar Nagar	2471393	3374196	0
5	Amethi	3517324	831162	2686162
6	Amroha	1467638	756319	711319
7	Auraiya	1300548	672774	627773
8	Azamgarh	3450173	1800586	1649586
9	Bagpath	1236289	640645	595645
10	Bahraich	3484339	1893269	1591068
11	Ballia	3074969	1600385	1474585
12	Balrampur	2011084	1127980	883104
13	Banda	1772147	948973	823173
14	Barabanki	5282751	3792475	1490275
15	Bareilly	5494368	3000784	2493582
16	Basti	2998317	1524659	1473655
17	Bijnore	3863548	1957274	1906271
18	Badaun	3522364	1824082	1698282
19	Blandshahar	3326383	1726091	1600291
20	Chandauli	1573183	809091	764087
21	Chitrakut	951385	498192	453192
22	Deoria	2985867	1568433	1417433
23	Etah	1756282	950641	805641
24	Etawah	2532827	1810513	722313
25	Faizabad	2308155	1179078	1129077
26	Farrukhabad	1929094	1065647	863447
27	Fatehpur	2558654	1354327	1204326
28	Firozabad	3278416	2136308	1142107

29	Gautambudh Nagar	2568367	1407184	1161183
30	Gaziabad	4765605	2458303	2307300
31	Ghazipur	3460357	1803178	1657178
32	Gonda	4308194	2738597	1569597
33	Gorakhpur	6804555	3951878	2852674
34	Hamirpur	1055038	550019	505019
35	Hapur	1182851	613926	568925
36	Hardoi	3868975	1997388	1871588
37	Hathras(M.M.Nagar)	1477403	761202	716201
38	Jalaun	3654293	2890047	764246
39	Jaunpur	4245176	2197688	2047488
40	Jhansi	4183702	2157251	2026447
41	Kannauj	1888766	1130383	758383
42	Kanpur(Dehat)	1687267	866134	821134
43	Kanpur(Urban)	10765488	7232344	3533141
44	Kashganj	1360728	702864	657864
45	Kaushambi	1505883	775442	730441
46	Kushinagar	3378429	1749614	1628814
47	Kheri	3817982	1981991	1835990
48	Lalitpur	1159140	602070	557070
49	Lucknow	7851368	4298184	3553181
50	Maharajganj	2483461	1264231	1219231
51	Mahoba	922369	521584	400784
52	Mainpuri	1910806	1065803	845003
53	Mathura	2451301	1288551	1162749
54	Mau	2062491	1053746	1008745
55	Meerut	8359762	5011381	3348379
56	Mirzapur	2433292	1292146	1141146
57	Moradabad	6078616	3638908	2439706
58	Muzaffar Nagar	2799348	1475174	1324174
59	Pilibhit	2013774	1081887	931886
60	Pratapgarh	2954455	1502727	1451727
61	Raibareilly	4132065	2574932	1557132
62	Rampur	2541245	1343122	1198121
63	Saharanpur	3220333	1635667	1584666
64	Sambhal	1182851	613926	568925
65	Sant Kabir Nagr	1613437	829218	784217
66	Sant Ravi das Nagar	1466886	755943	710943
67	Shahjahanpur	2791603	1418302	1373301
68	Shamli	1258651	689726	568925
69	Shravasti	1063902	554451	509451
70	Siddharthnagar	2382151	1214075	1168074
71	Sitapur	3484362	1767681	1716681
72	Sonbhadra	1749921	897960	851960
73	Sultanpur	2146797	1098899	1047899
74	Unnao	5066681	3643740	1422940
75	Varanasi	6037263	3296632	2740629
Total		243994000	139284937	105611805

3. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आगरा एवं अम्बेडकरनगर द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि में से एफ0एम0आर0 मद सं0 I.2.2 Strgth SDH/CHC@20 lakhs में अवमुक्त रू0 20.00 लाख की धनराशि को व्यय न करते हुये उक्त धनराशि क्रमशः एफ0एम0आर0 मद सं0 I:1.1.A Reimbursement For Cataract Operation For Ngo And Private Practitioners, I.1.1.B Assistance For

Consumables/Drugs/Medicines To The Govt./District Hospital, I.1.2.A Diabetic Retinopathy, I.1.2.B Childhood Blindness, I.1.2.C Glaucoma, I.1.2.D Keratoplasty, I.1.2.E Vitreoretinal Surgery, I.1.3.A Screening and free spectacles to school children, I.1.4.A Screening and free spectacles for near work to Old Person में आवंटित की गयी धनराशि की सीमा के अन्दर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा शेष रु0 902804.00 की धनराशि राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत संचालित अंधता निवारण कार्यक्रम के खाता सं0 30158315156 में स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया जायेगा उक्त के अतिरिक्त जनपद अलीगढ़ व अमेठी को द्वितीय किशत में एफ0एम0आर0 मद सं0 I.2.2 Strgth SDH/CHC@20 lakhs पर प्रति जनपद रु0 20.00 लाख की धनराशि की दर से कुल रु0 40.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0एम0आर0 कोड संख्या A.5.1.7 पर रु0 200.00 प्रति चश्मा की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उन आयुवर्ग के बच्चों के लिये अवमुक्त की जा रही है जो बच्चों राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हो रहे हैं। अतः जिला अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग उक्त आयुवर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत टीमों के माध्यम से चश्मा वितरण में करेंगे।

6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

7. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा- निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम में रिकरिंग मद में आवंटित धनराशि को अन्य रिकरिंग मद में जनपद द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में उपरोक्त संसाधनानुसार अनुपात के परिवर्तन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय की जा सकती है।

8. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।

10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

13. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं० 1207-13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2016-17/9950-75-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निदेशक (नेत्र)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, आर०बी०एस०के०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
9. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० ए०बी० सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०